सार्वजनिक उद्यम विभाग/ब्यूरो द्वारा कैलेण्डर वर्ष 2020 से अब तक की अवधि में सम्पादित कार्यों का संक्षिप्त विवरण।

1. सार्वजनिक उद्यम विभाग/ब्यूरो की स्थापना एक विशेषज्ञ परामर्शीय विभाग के रूप में की गयी थी। विभाग/ब्यूरो द्वारा प्रदेश सरकार में सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों से संबंधित कार्मिक, वित्तीय एवं प्रबन्धकीय प्रकरणों पर निगमों/उपक्रमों के प्रशासनिक विभाग द्वारा संदर्भित प्रकरणों पर विशेषज्ञ परामर्श प्रदान करने का सतत् कार्य किया जाता है।
2. सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के कार्मिकों हेतु वेतन, महंगाई भत्ते एवं अन्य भत्तों के संबंध में राज्य सरकार की नीतियों के अनुरूप समय–समय पर शासनादेश/निर्देश निर्गत किये गये।
3. सार्वजनिक उद्यम विभाग स्तर पर गठित 'अधिकृत समिति' द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों में वेतनमान एवं महंगाई भत्ता दिये जाने के प्रकरणों पर निगमों/प्रशासनिक विभगों से प्राप्त प्रस्तावों पर बैठकें कराकर निर्णय लिये गये।
4. प्रदेश में कार्यरत सार्वजनिक उद्यम विभाग की परिधि में आने वाले उपक्रमों/निगमों की वित्तीय स्थिति एवं कार्यचालन परिणाम के आधार पर फलैश रिजल्ट्स का संकलन एवं आकड़ों का विश्लेषण कर सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों की संकलित वित्तीय स्थिति को प्रदर्शित करने वाली वर्ष 2018–19 की रिपोर्ट तैयार की गयी।
5. सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के निदेशक मण्डल की बैठकों में विभागीय अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक उद्यम विभाग के प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित होकर शासकीय नीतियों और शासनादेशों पर मार्गदर्शन प्रदान किया गया।
6. सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के कार्यकलापों की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट के आधार पर समीक्षा व अनुश्रवण का कार्य किया गया।
7. सार्वजनिक उद्यम विभाग के अधीन आडिट प्रकोष्ठ (वाणिज्यिक) स्थापित है। विधान मण्डल स्तर पर गठित सार्वजनिक उपक्रम/निगम की संयुक्त समिति द्वारा बैठकें आयोजित बैठकों में आडिट प्रकोष्ठ (वाणिज्यिक) द्वारा समिति को अपेक्षित सहयोग प्रदान किया गया।